शेयर होल्डरों के ब्याज से संबंधित मामलों का निपटान

2296. **श्री ईश दत्त यादव:**
चौधरी हरमोहन सिंह यादव:

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि छोटे शेयर होल्डरों के ब्याज के हितों की रक्षा के लिए बनाये गये कानूनों के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निपटान में काफी समय लगता है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों को तीन माह, छः माह, नौ माह और एक वर्ष के भीतर निपटाया गया है; और

(ग) क्या सरकार प्राप्त शिकायतों का निपटान अनुबंधित समय में करने के लिए कोई नियम बना रही है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एम॰ थम्बी दुरई): (क) से (ग) छोटे शेयर धारकों के हितों की रक्षा के लिए, कम्पनी कार्य विभाग ने एक निवेशक संरक्षण सेल स्थापित किया है जो मुख्यतः आबंटन / अंतरण के बाद शेयर / डिबेन्चर प्रमाण् पत्रों के प्राप्त न होने, शेयर / डिबेन्चर आवेदन शुल्क के प्रतिदाय, लाभांश / ब्याज अधिपत्रों के प्राप्त न होने और अदावाकृत लाभांश आदि की अदायगी न किए जाने सम्बन्धी शिकायतों का निपटान करता है। ऐसी सभी शिकायतों को तत्काल स्वीकार कर लिया जाता है और पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत पद्धति के जरिए तत्काल निपटान के लिए सम्बन्धित कम्पनियों के साथ उन पर कार्रवाई की जाती है। पिछले तीन कैलेण्डर वर्षों के दौरान, कम्प्यूटर में 39878 शिकायतें दर्ज की गयीं और 17054 शिकायतों का निपटान किया गया। यदि कम्पनियों द्वारा उपयुक्त समय के अन्दर इन शिकायतों का निपटान नहीं किया जाता है तो कम्पनियों के विरुद्ध शास्तिक कार्रवाई की जाती है।

Bench of Karnataka High Court at Hubli

2297. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have approved of establishing a bench of Karnataka High Court at Hubli;

(b) if so, by when the bench would start functioning;

(c) whether there is any opposition for the establishment of bench at Hubli; and

(d) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI M. THAMBI DURAI): (a) to (d) The Government of Karnataka is of the view that a permanent Bench of the Karnataka High Court should be established at Hubli—Dharwad. However, the Chief Justice of the High Court has not so far endorsed the proposal. It is the policy of the Government of India that both the State Government and the High Court consider the matter from all angles and arrive at a consensus. As no complete proposal has been received from the Government of Karnataka, in consultation with the Chief Justice of the Karnataka High Court, for establishment of a Bench of the High Court at Hubli—Dharwad, it is not possible for the Central Government to take a decision in the matter.

Infrastructure facility for safeguarding interest of Judiciary

2298. SHRI LAJPAT RAI: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have chalked out any scheme for providing infrastructural facility of some capital nature in all States to safeguard the interests of the judiciary;

(b) if so, the action taken so far in this regard; and

(c) the funds provided for the purpose in the current financial year?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI M. THAMBI DURAI): (a) Yes, Sir.

(b) A Centrally Sponsored Scheme for the development of infrastructural facilities for the judiciary is being im-